2009:CGHC:10245

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील क्रमांक 297/2006

अपीलकर्तागण 1.दुर्गेश प्रधान पिता - पंचराम प्रधान, उम्र-23 वर्ष

(जेल में) 2. राजेंद्र साहू पिता - महासिंह साहू, उम्र- 21 वर्ष।

3.इन्दर सिंह उर्फ गुल्ला पिता - राम कृष्णा ध्रुव

21 उम्र वर्ष, सभी निवासी गांव: तोरवा, थाना

बिलासपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

विरुद्ध

प्रत्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा-थाना- तोरवा,

जिला- बिलासपुर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 (2) के अंतर्गत अपील)

(एकल पीठ- माननीय श्री टी.पी. शर्मा, न्यायाधीश)

उपस्थिति :-

अपीलकर्तागण के अधिवक्ता श्री जे.ए.लोहानी, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी (राज्य)के अधिवक्ता श्री अखिल मिश्रा,उप शासकीय अधिवक्ता

निर्णय

(पारित दिनांक-14 जुलाई, 2009)

1. यह अपील, सत्र प्रकरण क्रमांक 137/2002 में नवम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.), बिलासपुर द्वारा दिनांक 5.4.2006 को पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के निर्णय के विरूद्ध है, जिसके तहत विद्वान नवम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 भाग-II के तहत दण्डनीय अपराध के लिए अपीलकर्तागण को दोषी ठहराते हुए, प्रत्येक को 8 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 100/- रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी, तथा जुर्माना अदा न करने पर एक माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई थी।

2. दोषसिद्धि के निर्णय और सजा के आदेश को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि साक्ष्य के बिना विचारण न्यायलय ने अपीलकर्तागण को दोषी ठहराया और सजा सुनाई, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है और इस प्रकार एक अवैधता कारित किया है।

3. अभियोजन पक्ष का प्रकरण संक्षेप में यह है कि दिनांक 31.12.2004 की रात फईम अहमद (मृत) अन्य व्यक्तियों के साथ तोरवा कृषि उपज मंडी समिति, बिलासपुर के पास मौजूद था जो नए साल का आनंद ले रहे थे। मृतक और उपस्थित अपीलकर्तागण के बीच कुछ विवाद हुआ। अभियुक्तगण /अपीलकर्तागण ने मृतक पर डंडे और स्टंप से हमला किया। मृतक गिर गया उसके सिर से खून निकल रहा था। उसकी बहन कु. रिजवाना (अ.सा.-01), शमीम अहमद (अ.सा.-02) और अन्य व्यक्तियों ने घटना देखी है। घायल ने भी अपनी बहन और पिता को घटना के बारे में बताया। वे उसे सिम्स अस्पताल ले गए जहां उसकी मृत्यु हो गई। दिनांक 01.01,2005 को एफ.आई.आर. प्रदर्श पी.01 दर्ज की गई। घटनास्थल का नक्शा प्रदर्श पी. 02 तैयार किया गया घटनास्थल से सादा और खून से सनी मिट्टी प्रदर्श पी.03 बरामद की गई | शव को शवपरीक्षण के लिए भेज दिया गया। शव परीक्षण डॉ. वी.के. मनवानी (अ.सा.-12) द्वारा प्रदर्श पी.22 के द्वारा किया गया और मृतक के शरीर पर निम्नलिखित चोटें पाई गईं:

i) बाएं टखने पर 2.1 x 0.1 सेमी का एक खरोंच I

ii) दाहिनी पीठ पर 0.5 सेमी x 0.7 सेमी आकार के दो खरोंचें।

iii) दाहिने घुटने पर 2.2 x 1.1 सेमी आकार के दो खरोंचें I

iv) पार्श्विका अस्थि(parietal bone) पर 3.4 x 8 x 9 सेमी आकार का एक फटा हुआ घाव और पार्श्विका अस्थि(parietal bone)का अस्थिभंग(fracture)पाया गया। टेम्पोरल अस्थि(temporal bone) का अस्थिभंग(fracture) पाया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4 डॉक्टर ने मत दिया कि मृत्यु का कारण गंभीर चोट और सदमे के परिणामस्वरूप हुई और मृत्यु प्रकृति में मानववध थी। अभियुक्त के मेमोरेंडम कथन प्रदर्श पी.08 के आधार पर, एक छड़ी प्रदर्श पी.15 जप्ती की गई। अपीलकर्ता दुर्गेश के मेमोरेंडम कथन प्रदर्श पी.09 के आधार पर स्टंप प्रदर्श पी.14 की जप्ती की गई। अपीलकर्ता आलोक कुमार के मेमोरेंडम कथन प्रदर्श पी.10 के आधार पर छड़ी प्रदर्श पी.15 की जप्ती की गई। अभियुक्त इंदर सिंह के मेमरेंडम कथन प्रदर्श पी.11 के आधार पर छड़ी प्रदर्श पी.13 की जप्ती की गई। अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया और जप्त की गई वस्तुओं को रासायनिक विश्लेषण के लिए भेज दिया गयाI मर्ग सुचना प्रदर्श पी.13 के माध्यम से दर्ज किया गयाI

5. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'कोड') की धारा 161 के तहत गवाहों के बयान दर्ज करने और जांच पूरी होने के बाद, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिलासपुर के समक्ष एक आरोप पत्र दायर किया गया, जिन्होंने प्रकरण को सत्र न्यायालय,बिलासपुर को उपार्पित किया। जहां से विद्वान नवम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.), बिलासपुर ने इसे विचारण के लिए स्थानांतरित कर प्राप्त किया।

6. अभियुक्तगण/अपीलकर्तागण का अपराध सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 16 गवाहों का परिक्षण किया। अभियुक्तों के बयान संहिता की धारा 313 के अंतर्गत दर्ज किए गए, जहाँ उन्होंने अपने विरुद्ध उपस्थित परिस्थितियों से इनकार किया और निर्दोष होने तथा झूठे आरोप लगाने का तर्क दिया।

7. विद्वान् नवम अपर सत्र न्यायाधीश ने पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् अपीलकर्तागण को दोषी ठहराया और दण्डित किया।

8. मैंने अपीलकर्तागण के वकील श्री जे.ए.लोहानी और राज्य/प्रतिवादी के उप शासकीय अधिवक्ता श्री अखिल मिश्रा को सुना है तथा विवादित निर्णय और विचारण न्यायालय के दस्तावेजों का अवलोकन किया है।

9. अपीलकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि कु. रिजवाना (अ.सा.-01) और शमीम अहमद (अ.सा.-02) हितबद्ध और नातेदार साक्षी हैं और उन्होंने घटना नहीं देखी है। उनके बयान अविश्वसनीय हैं और अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क किया कि अभियोजन पक्ष के प्रकरण के अनुसार, विनोद मरकाम (अ.सा. 09) ने बयान दिया है कि जब वह आनंद स्थल से लौट रहा था तो उसने देखा कि मृतक कमरे के पास पड़ा था। वह उसे अपने घर ले गया और अपने रिश्तेदारों को सूचित किया और उसकी बहन घर के अंदर से बाहर आई, जिससे पता चलता है कि कु. रिजवाना और शमीम अहमद ने घटना नहीं देखी है और उन्होंने अपीलकर्तागण को केवल झूठा फंसाने के उद्देश्य से अपीलकर्तागण के खिलाफ गवाही दी। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क किया कि मृतक का आपराधिक इतिहास था और उसकी बहुत लोगों से दुश्मनी थी और ठोस और सकारात्मक सबूत के अभाव में, अपीलकर्तागण की दोषसिद्धि और सजा कानून के तहत स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

10. दूसरी ओर, राज्य/प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया और तर्क दिया कि कु. रिजवाना (अ.सा.-01) और शमीम मोहम्मद (अ.सा.-02) मृतक के बहन और पिता हैं। वे नातेदार साक्षी हैं, लेकिन घटना के समय उनकी उपस्थिति स्वाभाविक थी। घटना उनके घर के सामने हुई थी और रिश्तेदार ही असली अपराधी को पकड़ने और किसी निर्दोष व्यक्ति को झूठा फंसाने वाला आखिरी व्यक्ति हो। केवल उनके रिश्तेदारों के आधार पर बयानों पर अविश्वास नहीं किया जा सकता। अभियोजन पक्ष ने विनोद मरकाम (अ.सा.-09) को पक्षद्रोही घोषित किया है। उसके बयान के अनुसार, वह केवल एक आकस्मिक गवाह था और उसके बयान की गहन जाँच की आवश्यकता है। उसने धारा 161 के तहत दर्ज बयान का समर्थन नहीं किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11 पक्षों की दलीलों को समझने के लिए मैंने पक्षों की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों की जांच की है। मृतक फईम अहमद के शरीर पर मिली चोट और चोट के परिणामस्वरूप मौत के कारण पर अपीलकर्ताओं ने विवाद नहीं किया है, यह कु. रिजवाना (अ.सा.01), शमीम अहमद (अ.सा.02), कलीम अहमद (अ.सा.07), विनोद मरकाम (अ.सा,09) के बयान से स्पष्ट होता है। शव-परिक्षण प्रतिवेदन (प्रदर्श पी.-22), मर्ग सूचना (प्रदर्श पी.-13) और त्वरित एफआईआर (प्रदर्श पी.-01) दर्ज की गई। मृतक के शव की जांच डॉ. वी.के. मनवानी (अ.सा.-12) ने की, जिन्होंने मृतक के शरीर पर चार चोटों के निशान देखे और चोटें फटी हुई, फ्रैक्चर और कनपटी की हड्डी में फ्रैक्चर थीं और मौत का कारण चोट के परिणामस्वरूप सदमा था और मौत की प्रकृति मानववध थी।

12. विचाराधीन प्रकरण में अपीलकर्तागण की संलिप्तता स्थापित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने मृतक की बहन कु. रिजवाना (अ.सा.-01) से पूछताछ की, जिसने प्रदर्श पी.01 के तहत एफ.आई.आर. दर्ज कराई थी, जिसने अपने साक्ष्य में कहा था कि दिनांक 31.12.2004 को उसका भाई फईम अहमद नया साल मनाने के लिए घर से बाहर गया था। 31 दिसंबर, 2004 और 1 जनवरी, 2005 की मध्य रात्रि में उसने झगड़े की आवाज सुनी और वह, उसकी मां और उसके पिता दरवाजा खोलकर बाहर आए और उन्होंने देखा कि मौजूद अपीलकर्ता और एक मोनू उसके भाई को स्टंप और छड़ी से पीट रहे थे। उसका भाई गिर गया, फिर अपीलकर्तागण मौके से भाग गए। उन्होंने उसके भाई को ले जाने की कोशिश की, उस समय विनोद मरकाम (अ.सा.-09) और बंटी वहां आए। उन्होंने उसके घर के दरवाजे के सामने से घायल अवस्था में उसे ले गएI उसके सिर से खून बह रहा थाI वह बेहोश था। वे उसे रिक्शे से सिम्स अस्पताल ले गए और इलाज के दौरान सुबह 4.30 बजे उसकी मौत हो गई। उसने स्पष्ट रूप से बताया है कि घटना के समय दुर्गेश स्टंप रखा था और बाकी लोग डंडा रखे थे और उसने एफआईआर (अ.सा.-01) दर्ज कराया है। उसके बयान की पुष्टि उसके पिता शमीम अहमद के बयान से होती है। मृतक के भाई कलीम अहमद (अ.सा.07) ने बयान दिया है कि घटना के समय वह अपने घर में सो रहा था। रोने की आवाज सुनकर वह बिस्तर से उठ गया। उसके घर के पास कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जहाँ उसका भाई लेटा था। माँ, पिता, बहन और अन्य लोग भी वहाँ मौजूद थे। मृतक ने उसे बताया कि उसे आरोपीगण ने मारा था, फिर वह बेहोश हो गया। वे घायल को सिम्स (CIMS) अस्पताल ले गए जहाँ सुबह 4.30 बजे उसकी मृत्यु हो गई। विनोद मरकाम (अ.सा.09) ने अभियोजन पक्ष के मामले का केवल इस हद तक समर्थन किया है कि उसने घायल को देखा और वह उसे अपने घर के सामने ले गया और उसके रिश्तेदारों को सूचित किया। अभियोजन पक्ष ने उसे पक्षद्रोही घोषित कर दिया है। अपने बयान में उसने अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन नहीं किया है और यह भी गवाही दी है कि घटना के समय स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही थी। विनोद मरकाम (अ.सा.09) एक मौका गवाह है। वह उस इलाके का निवासी नहीं था जहाँ घटना हुई थी। वह नया साल मनाकर आ रहा था। उसने गवाही दी है कि उसने देखा कि घायल सड़क के किनारे पड़ा है

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. '**बहाल सिंह बनाम हरियाणा** [1]राज्य' मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि संयोगवश मिले गवाह का बयान अनिवार्य रूप से अविश्वसनीय नहीं है, लेकिन इसकी सावधानीपूर्वक और गहन जाँच की आवश्यकता है। उक्त निर्णय का पैरा 10 इस प्रकार है:-

"10. घटना के समय और स्थान पर अ.सा.04 और 05 की उपस्थिति के संबंध में, विचारण न्यायालय ने गंभीर संदेह व्यक्त किए। यदि संयोगवश कोई व्यक्ति घटना के समय घटनास्थल पर मौजूद हो, तो उसे संयोगी साक्षी कहा जाता है। और यदि ऐसा व्यक्ति पीड़ित का रिश्तेदार या मित्र हो या अभियुक्त के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया रखता हो, तो उसका संयोगी साक्षी होना संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। ऐसा साक्ष्य अनिवार्य रूप से अविश्वसनीय नहीं होता, लेकिन इसकी सावधानीपूर्वक और गहन जाँच की आवश्यकता है। इस मामले में, अ.सा.04 और 05 मृतक के सगे संबंधी थे - उनमें से एक निकट संबंधी था। घटनास्थल पर मौजूद होने का उनके द्वारा दिया गया कारण विचारण न्यायालय को सही प्रतीत नहीं हुआ। उच्च न्यायालय के पास दोनों संयोगी गवाहों के साक्ष्य भिन्न होने का कोई पर्याप्त कारण नहीं था। उच्च न्यायालय द्वारा यह टिप्पणी की जा सकती है कि उत्तरवादी भी उनका सहयोगी था, लेकिन वे अभियोजन पक्ष के पक्षपातपूर्ण गवाह प्रतीत हुए और इसलिए उनकी गवाही विचारण न्यायालय के न्यायाधीश ने इसे संदेह की दृष्टि से देखा था"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. विनोद मरकाम (अ.सा.-09) ने अभियोजन पक्ष के प्रकरण का पूर्ण रूप से समर्थन नहीं किया है और अभियोजन पक्ष ने उसे पक्षद्रोही घोषित कर दिया है, लेकिन उसने अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन इस सीमा तक किया है कि उसने घायलों को देखा था। उपरोक्त विधिक प्रतिपादना के आलोक में, विनोद मरकाम (अ.सा.-09) का साक्ष्य केवल इस सीमा तक विश्वसनीय है कि उसने घायलों को देखा था।

15. कु. रिजवाना (अ.सा.01), शमीम अहमद (अ.सा.02) और कलीम अहमद (अ.सा.07) मृतक के करीबी रिश्तेदार हैं और उसी घर में रहते हैं। अभियोजन पक्ष ने कु. रिजवाना (अ.सा.01) से विस्तार से परिक्षण किया है। उसने विशेष रूप से स्वीकार किया है कि उसका भाई उसके घर से 8 से 10 कदम की दूरी पर गिर गया था। उसने अपने बयान के कंडिका-8 में इस सुझाव से इनकार किया है कि गोविंद चंदेल और उसके बेटे सूरज ने मृतक पर हमला किया और फिर मौके से भाग गए और खुद को बचाने के लिए उसके घर की तरफ आए। पड़ोसियों द्वारा दरवाजा खटखटाने के बाद उसने दरवाजा खोला है। उसने स्ट्रीट लाइट की अनुपस्थिति के सुझाव से भी इनकार किया है और विशेष रूप से गवाही दी है कि स्ट्रीट लाइट में उसने अपनी माँ और पिता के साथ घटना देखी है, हालाँकि उसने स्वीकार किया है कि उसके अधिवक्ता ने उसे उसके पुलिस बयान के आधार पर यह कहने की सलाह दी परन्तु प्रति परिक्षण में उसने इस बारे में कि उसने घटना नही देखी है,कुछ नही कहाI अभियोजन पक्ष ने मृतक के पिता शमीम अहमद (अ.सा.02) का परिक्षण किया है, लेकिन उनके विस्तृत परिक्षण में बचाव पक्ष उनकी गवाही में कुछ भी नहीं उगलवा सका है।जिससे उनका साक्ष्य अविश्वसनीय हो जाएI उसने अपनी बेटी कु. रिजवाना के बयान की पुष्टि की है। कलीम अहमद (अ.सा.07) ने भी कहा है कि जब वह घर से बाहर गया तो उसका भाई लेटा हुआ था और उसने घटना नहीं देखी है। वह

---

1 एआईआर 1976 एससी 2032

प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। वह मृत्यु पूर्व बयान का गवाह है और उसने बयान दिया है कि घायल ने उसके समक्ष कहा है कि अभियुक्तों ने उस पर हमला किया और वह बेहोश हो गया और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने उसका बयान धारा 161 के तहत प्र.डी/1 के रूप में दर्ज किया है। यह तथ्य प्र.डी/1 में भी मौजूद है। उसने मृत्यु पूर्व बयान के तथ्य को बताया है।

16. इस प्रकरण में, कु. रिजवाना (अ.सा.-01), शमीम अहमद (अ.सा.-02) और कलीम अहमद (अ.सा.-07) मृतक के निकट संबंधी हैं, लेकिन केवल उनके रिश्तेदारी के आधार पर उन्हें हितबद्ध साक्षी नहीं माना जा सकता। **दलीप सिंह बनाम भारत संघ (2004)** में, रिश्तेदार गवाह को हितबद्ध साक्षी के रूप में देखते हुए, पंजाब राज्य[2] के एक प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी गवाह को सामान्यतः स्वतंत्र माना जाना चाहिए, जब तक कि वह ऐसे स्रोतों से न आया हो जिनके दूषित होने की संभावना हो। उक्त निर्णय का कंडिका 26 इस प्रकार है:-

"26. एक गवाह को सामान्यतः स्वतंत्र माना जाता है, जब तक कि वह ऐसे स्रोतों से न आए जिनके दूषित होने की संभावना हो और इसका अर्थ आमतौर पर यह होता है कि जब तक गवाह के पास अभियुक्त के विरुद्ध शत्रुता जैसा कोई कारण न हो, जिससे वह उसे झूठे मामले में फँसाना चाहे। आमतौर पर, कोई करीबी रिश्तेदार असली अपराधी को पर्दा डालने और किसी निर्दोष व्यक्ति को झूठे मामले में फँसाने वाला आखिरी व्यक्ति होता है। यह सच है कि जब भावनाएँ तीव्र होती हैं और शत्रुता का कोई व्यक्तिगत कारण होता है, तो दोषी व्यक्ति के साथ एक निर्दोष व्यक्ति को भी घसीटने की प्रवृत्ति होती है, जिसके विरुद्ध गवाह की कोई रंजिश हो, लेकिन ऐसी आलोचना के लिए आधार होना आवश्यक है और केवल रिश्ते का तथ्य ही आधार न होकर अक्सर सत्य की निश्चित गारंटी होता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17**. मसालती बनाम उत्तर प्रदेश राज्य**[3] मामले में इसी प्रश्न पर विचार करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि संबंधित गवाह के बयान को केवल हितबद्ध या पक्षपातपूर्ण गवाह के आधार पर निरस्त नहीं किया जाना चाहिए। गवाहों के बयान को इस आधार पर निरस्त नहीं किया जाना चाहिए कि यह एक पक्षपातपूर्ण या हितबद्ध गवाह का साक्ष्य है।

18. रिज़ान एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य[4]के प्रकरण में इसी प्रश्न पर विचार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संबंध किसी गवाह की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि कोई रिश्तेदार वास्तविक अपराधी को नहीं छिपाता और निर्दोष व्यक्ति पर आरोप लगा देता हैं।

---

2 (1954) 1 एससीआर 145

3 (1964) 8 एससीआर 133

4 2003 एयर एससीडब्ल्यू 469

19. **नामदेव बनाम महाराष्ट्र राज्य**[5] मामले में कुछ प्रश्नों पर विचार करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि किसी निकट संबंधी को "हितबद्ध" साक्ष्य नहीं माना जा सकता। वह एक स्वाभाविक गवाह है। हालाँकि, उसके साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जाँच की जानी चाहिए। यदि ऐसी जाँच में, उसका साक्ष्य आंतरिक रूप से विश्वसनीय, स्वाभाविक रूप से संभाव्य और पूर्णतः विश्वसनीय पाया जाता है, तो ऐसे गवाह की 'एकमात्र' गवाही के आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है। मृतक या पीड़ित के साथ गवाह का घनिष्ठ संबंध उसकी गवाही को अस्वीकार करने का कोई आधार नहीं है।

इसके विपरीत, मृतक का करीबी रिश्तेदार आम तौर पर असली अपराधी को छोड़ने और किसी निर्दोष को झूठा फंसाने में सबसे ज़्यादा हिचकिचाएगा।

20. वर्तमान प्रकरण में, निश्चित रूप से कु रिजवाना (अ.सा.01), शमीम अहमद (अ.सा.02) और कलीम अहमद (अ.सा.07) मृतक के करीबी रिश्तेदार हैं। घटना उनके घर के सामने हुई थी। उनके बयान के अनुसार, उन्होंने घटना को बहुत करीब से देखा है, यह दर्शाता है कि उन्होंने स्ट्रीट लाइट में 18 से 20 फीट की दूरी से घटना देखी है। वे घायल को तुरंत अस्पताल ले गए जहां लगभग 4.30 बजे उसकी मृत्यु हो गई, यह दर्शाता है कि वे वही व्यक्ति हैं जो तुरंत दरवाजा खोलकर घटनास्थल पर पहुंचे और बाहर आए जहां उन्होंने घटना देखी थी। उनके घर में उनकी उपस्थिति स्वाभाविक है। उनकी उपस्थिति घायल को तुरंत अस्पताल ले जाने और एफआईआर दर्ज करने के बाद की कार्रवाई से पुष्ट होती है। उनके बयान एक-दूसरे के बयानों और तुरंत एफआईआर दर्ज करने से पुष्ट होते हैं। बचाव पक्ष ऐसा कुछ भी नहीं दिखा पाया है जिससे पता चले कि उन्होंने वर्तमान अपीलकर्तागण को पिछली दुश्मनी या किसी अन्य कारण से फंसाया है उनके बयान विश्वास को प्रेरित करने वाले एवम विश्वसनीय हैं पर अवलंब किया जा सकता है और यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त है कि अपीलकर्तागण ही वे व्यक्ति थे जिन्होंने मृतक को चोट पहुंचाई थी।

21. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के पश्चात्, विचारण न्यायालय ने अपीलकर्तागण को उपर्युक्तानुसार दोषी ठहराया और दण्डित किया है। साक्षियों के बयानों को उनके संबंधों के आधार पर व्यक्त नहीं किया जाता है। विचारण न्यायालय ने अपीलकर्तागण को सही रूप से दोषी ठहराया और दण्डित किया है। दोषसिद्धि और दण्ड कानून के तहत स्थिर रखे जाने योग्य है और कानूनी और विश्वसनीय साक्ष्य पर आधारित है। तीन अभियुक्तों ने मृतक को चोट पहुँचाई और ऐसी चोट के परिणामस्वरूप उपचार के दौरान 4 घंटे के भीतर उसकी मृत्यु हो गई। विचारण न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग-II के अंतर्गत अपीलकर्तागण को दोषी ठहराया है और उन्हें 8 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मृतक की मृत्यु चोट पहुँचाने से हुई थी, इस

---

5 2007 एयर एससीडब्ल्यू 1835

कारण को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ताओं पर लगाया गया दण्ड न तो अत्यधिक है और न ही अनुचित है। इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

22 परिणामस्वरूप, अपील में कोई सार नहीं है, इसलिए यह खारिच किये जाने योग्य है और तदनुसार खारिच की जाती है।

सही/-

टी.पी. शर्मा

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By Advocate – Anupam Shrivastava